बिहार सरकार

''आर्थिक हल, युवाओ को बल'' के अन्तर्गत

बिहार के युवाओं के लिए राज्य सरकार की अभूतपूर्व पहल

पता
नियर–आई0टी0आई0 फिल्ड
चरित्रवन, बक्सर
दूरभाष 18003456444

बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना

इस योजना के तहत 10वीं/12वीं एवं स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आगे के अध्ययन के लिए ''बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि0'' के माध्यम से 4 लाख रूपये तक का शिक्षा ऋण देने की सुविधा है।

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्ताये एवं शर्त्ते

- आवेदक बिहार अथवा अन्य राज्य/केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकार के मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी अथवा निजी शिक्षण संस्थानों में नामांकित या नामांकन हेतु चयनित मात्र वैसे अहर्त्ता प्राप्त आवेदकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा, जिनके संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन पर्षद, (NAAC) के द्वारा न्यूनतम Grade-(A) प्राप्त है अथवा संस्थान में संचालित कार्यक्रमों का National Board of Accreditation (NBA) के द्वारा Accreditation प्राप्त है अथवा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत (National Institutional Ranking Frame Work) की रैंकिंग प्राप्त है।

  नोट :– उपरोक्त मानक बिहार राज्य के अन्तर्गत स्थित विद्यालय/महाविद्यालय के लिए अनिवार्य नहीं है।
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी हो ।
- यह ऋण मेडिकल, इंजिनियरिंग, विधि, प्रबंधन, पॉलेटेकनिक आदि तकनिकी शिक्षा के साथ–साथ B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com. आदि सामान्य पाठ्यक्रमों सहित कुल 42 पाठ्यक्रमों के लिये उपलब्ध है।
- आवेदक बिहार राज्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से 12वीं अथवा समतुल्य (पॉलटेकनिक पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण हो। अगर आवेदक ने 10वीं/12वीं परीक्षा यू0पी0 राज्य से उत्तीर्ण किया है एवं बक्सर सदर, चौसा, चक्की, ब्रह्मपुर एवं सिमरी में से एक प्रखण्ड का निवासी हो।
- पॉलटेकनिक अथवा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों M.A, M.Sc., M.Com., MBA, MCA आवेदक की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस ऋण पर छात्राओं एवं दिव्यांगों को 1% तथा छात्रों को 4% साधारण ब्याज दर।

आवश्यक कागजात

- आवेदन (PDF Copy) की स्वहस्ताक्षरित प्रति आवेदन के फोटो के साथ।
- मैट्रिक, इंटरमीडिएट (Polytechnic,पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) एवं अंतिम सफल परीक्षा का अंक प्रमाण–पत्र एवं प्रमाण–पत्र।
- आवेदक का बैंक पासबुक की छायाप्रति, जिसमें शाखा का नाम, खाता संख्या एवं IFSC Code अंकित हो।
- संस्थान में नामांकण प्रमाण–पत्र जिसमें पाठ्यक्रम अवधि अंकित हो (अथवा बिहार राज्य से बाहर के संस्था के लिए पाठ्यक्रम विवरणी का)।
- संस्था से प्राप्त पाठ्यक्रम शल्क की विवरणी।
- आवेदक का माता/पिता/पति/अभिभावक (रक्त संबंधित) का दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ एवं आधार कार्ड।
- आवासीय प्रमाण–पत्र अथवा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवास का पता स्पष्ट रूप से अंकित हो।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :–

सहायक प्रबंधक, बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड, बक्सर, मो0नं0–9525226139

सहायक प्रबंधक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, बक्सर, मो0नं0–6204699927, 9470685383

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना

इस योजना के तहत 12वीं पास 20–25 वर्ष के युवाओं (जो 12वीं से आगे नहीं पढ़े हों या नहीं पढ़ रहे हों) के 1000/– रूपये प्रति माह दो वर्षो के लिए सहायता के तौर पर दिया जायेगा। साथ ही उन्हें मुफ्त कुशल युवा प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्ताये एवं शर्त्ते

- 20–25 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले वैसे बेरोजगार युवा जो 12वीं उत्तीर्ण हों तथा 12वीं तथा आगे की अध्ययन नहीं किये हों अथवा नहीं कर रहें हो।
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो तथा उसके पास स्वरोजगार नहीं हो।
- आवेदक को किसी अन्य सरकारी श्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृत्ति/स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो एवं उसे किसी भी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन (अनुबंध/स्थायी) प्राप्त नहीं हों।
- आवेदक के कुशल युवा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) संवाद कौशल एवु बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान का अनिवार्य प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
- अगर आवेदक बक्सर सदर, चौसा, चक्की, ब्रह्मपुर एवं सिमरी प्रखण्डों में से किसी एक प्रखण्ड का निवासी हो एवं उसने 10वीं/12वीं परीक्षा यू०पी० राज्य में स्थित संस्थान से उतीर्ण किया हो, तो इस योजना का लाभ ले सकता हैं।

सहायक प्रबंधक, बक्सर, मो0नं0–9905061387

आवश्यक कागजात

- आवेदन (PDF Copy) की स्वहस्ताक्षरित प्रति आवेदन के फोटो के साथ।
- 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र।
- 12वीं कक्षा एवं उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र (सिर्फ उनके लिए जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो)।
- आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड।
- किसी अनुसूचित बैंक में आवेदक के नाम बैंक खाता (IFSC Code सहित) हो।
- विद्यालय/महाविद्यालय (अर्थात् 12वीं का) परित्याग प्रमाण–पत्र (CLC)।

कुशल युवा कार्यक्रम

इस योजना के तहत 10वीं पास अथवा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत/उपाधि प्राप्त कर चुके युवाओं को भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं व्यवहार कौशल तथा बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्ताये एवं शर्त्ते

- सामान्य वर्गा के लिए आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु 15 से 28 वर्ष तथा OBC/EBC के लिए 15–31 एवं SC/ST के लिए 15–33 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक ने बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। अगर आवेदक बक्सर सदर, चौसा, चक्की, ब्रह्मपुर एवं सिमरी प्रखण्डों में से किसी एक प्रखण्ड का निवासी हो एवं उसने 10वीं/12वीं परीक्षा यू०पी० राज्य में स्थित संस्थान से उतीर्ण किया हो, तो इस योजना का लाभ ले सकता हैं।

सहायक प्रबंधक, बक्सर मो० नं०–9472410169

आवश्यक कागजात

- आवेदन (PDF Copy) की स्वहस्ताक्षरित प्रति आवेदन के फोटो के साथ।
- 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र।
- 12वीं कक्षा एवं उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र (सिर्फ उनके लिए जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो)।
- आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड।
- किसी अनुसूचित बैंक में आवेदक के नाम बैंक खाता (IFSC Code सहित) हो।

प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बक्सर मो0नं0–8002655944

ऑन लाईन आवेदन हेतु वेबसाईट पोर्टल– **www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in** फेसबुक पेज **Id-www.facebook.com/DRCCBUXAR/**

जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, (आई0टी0आई0 फिल्ड), चरित्रवन, बक्सर में कागजातों के सत्यापन हेतु आवेदक सभी आवश्यक कागजातों की मूल प्रति एवं उसकी छाया प्रति को लेकर प्रत्येक कार्य दिवस को 10.00 बजे से 05.00 बजे तक पधारें ।

अनुलग्नक–'3'
योजनान्तर्गत आच्छादित पाठ्यक्रमों की सूची

क्र०सं०	पाठ्यक्रम	क्र०सं०	पाठ्यक्रम
1.	B.A., B.Sc., B.Com. (All subject)	22.	Bachelor of Unani Medicine & Surgery (B.U.M.S)
2.	M.A., M.Sc., M.Com (All subject)	23.	Bachelor of Homeopathic Medicine & Surgery (B.H.M.S.)
3.	Aalim	24.	Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.)
4.	Shashtri	25.	General Nursing Midwifery (G.N.M)
5.	B.C.A.	26.	Bachelor of Physiotherapy
6.	M.C.A.	27.	Bachelor of Occupational Therapy
7.	B.Sc. (Information Technology/Computer Application/Computer Science)	28.	Diploma in Food, Nutrition/ Dietetics
8.	B.Sc. (Agriculture)	29.	Bachelor of Mass Communication/Mass Media/Journalism
9.	B.Sc. (Library Science)	30.	B.Sc. in Fashion Technology/Designing/Apparel Designing/Footwear Designing
10.	Bachelor of Hotel Management & Catering Technology (B.H.M.C.T.)	31.	Bachelor of Architecture
11.	B.Tech/B.E. for laterally admitted candidates having degree of three years diploma courses approved by the State Technical Education Council	32.	Bachelor of Physical Education (B. P. Ed.)
12.	Hotel Management and Catering Technology	32.	M.Sc/M.Tech Integrated course (जिसमें नामांकन की योग्यता +2 समकक्ष है)
13.	Hospital and Hotel Management	34.	Diploma in Food Processing/ Food Production
14.	Diploma in Hotel Management (Three Year) (I.H.M. Course)	35.	Diploma in Food & Beverage Services
15.	Bachelor in Yoga (Entry Level+2Pass)	36.	B.A./B.Sc.
16.	B.Tech, B.E., B.Sc. (Engineering-all branches)	37.	Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
17.	M.B.B.S.	38.	Master of Business Administration (M.B.A.)
18.	B.Sc. (Nursing)	39.	Bachelor of Fine Arts (B.F.A.)
19.	Bachelor of Pharmacy	40.	BL/LLB (5 Year integrated Course)
20.	Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (B.V.M.S.)	41.	Degree/Diploma in Aeronautical, Pilot Training, Shipping
21.	Bachelor of Ayurveda, Medicine and Surgery (B.A.M.S)	42.	Polytechnic